रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272840
CG-DL-E-25052026-272840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948
No. 327]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अधिसूचनासंदूषक/2021-22 - प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2024 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अधिसूचनासंदूषक/2021-22, तारीख 18 सितंबर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिस तारीख को उस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 25 सितंबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) और खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम 1 दिसम्बर, 2026 को प्रवृत होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात आगे उक्त विनियम कहा गया है),"धातु संदूषक" से संबंधित विनियम 2.1 में, उप-विनियम 2.1.1 में, खंड 2 में,-

(क) सारणी में,-

(i) 'सीसा' से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ (2) में, "दालें" शब्द के स्थान पर "दालें और दालों का आटा" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) 'आर्सेनिक' से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तम्भ (2) में, "खाद्य वसा और तेल (बिना अलग मानको वाले खाद्य वसा और तेल)" शब्दों के स्थान पर, "खाद्य वसा और तेल (बिना अलग मानको वाले खाद्य वसा और तेल)* " शब्द और आकृति रखे जाएँगे;

(iii) 'कैडमियम' से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तम्भ (2) में, "दाल, सूखी सोयाबीन को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "दालें और दालों का आटा, सूखी सोयाबीन को छोड़कर" शब्द रखे जाएँगे।

(ख) सारणी के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*टिप्पण- मछली के तेल के संबंध में, एमएल अकार्बनिक आर्सेनिक (एज़-इन) के लिए है। परीक्षण के दौरान, यदि कुल आर्सेनिक की सांद्रता अकार्बनिक आर्सेनिक के लिए अवधारित अधिकतम सीमा (ML) से कम है, तो आगे किसी परीक्षण की अपेक्षा नहीं होगी और नमूना निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप (अनुपालन में) माना जाएगा। यदि कुल आर्सेनिक की सांद्रता अकार्बनिक आर्सेनिक के लिए अवधारित अधिकतम सीमा (ML) से अधिक पाई जाती है, तो यह अवधारित करने के लिए अनुवर्ती परीक्षण किया जाएगा कि अकार्बनिक आर्सेनिक की सांद्रता अवधारित अधिकतम सीमा (ML) से अधिक है या नहीं।";

3. उक्त विनियम में, "फसल संदूषक और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ" से संबंधित विनियम 2.2 में, उप-विनियम 2.2.1 में,

(क) खंड 1 में, सारणी में,-

(i) 'कुल एफ्लाटॉक्सिन्स' से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ (3) में, "तिलहन अथवा तेल: आगे प्रसंस्करण के लिए तिलहन, तैयार खाद्य " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)
" आगे प्रसंस्करण के लिए तेल, और तिलहन तैयार खाद्य तिलहन ";

(ii) 'एफ्लाटॉक्सिन बी1' से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, "तिलहन अथवा तेल: आगे प्रसंस्करण के लिए तिलहन, खाने के लिए तैयार" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(3)
" आगे प्रसंस्करण के लिए तेल, और तिलहन तैयार खाद्य तिलहन ";

(ख) खंड 2 में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियो, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियो को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	सफ़रोल	ऐसे बीवरेज और खाद्य पदार्थ जिनमें संघटक के रूप में जावित्री और/या जायफल गिरी हो	10";

4. उक्त विनियम में, विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.2 में,-

(i) खंड (1) का विलोप किया जाएगा;

(ii) खंड (4) में, -

क) 'ट्राइमेथोप्रिम' से संबंधित क्रम संख्या 45 के सामने, स्तम्भ (3) और (4) में विधमान प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(3)	(4)
"श्रिम्प, प्रॉन या किसी अन्य प्रकार की मछली और मत्स्य उत्पाद सहित समुद्री खाद्य पदार्थ	0.05"

क्रम संख्या 49 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियो के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"50	ऑक्सोलिनिक अम्ल	श्रिम्प, प्रॉन या किसी अन्य प्रकार की मछली और मत्स्य उत्पाद सहित समुद्री खाद्य पदार्थ	0.3"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./89/2026-27]

टिप्पण: खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 01-एसपी(पी ए आर)-अधिसूचना-पेस्टिसाइड/स्टैंड-एफएसएसएआई-2017, तारीख 17 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2026

F. No. 01/SP-02/S&S/NotificationContaminants/2021-22.- Whereas a draft of Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2024 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 01/SP-02/S&S/NotificationContaminants/2021-22, dated the 18th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 25th September 2024;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft regulations by the Food safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (j) of sub- section (2) of section 92 read with sections 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on 1st December , 2026.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2.1 relating to "METAL CONTAMINANTS", in sub-regulation 2.1.1, in clause 2,-

   (a) in the Table,

      (i) against serial number 1 relating to 'Lead', in column (2), for the word "Pulses", the words "Pulses and Pulse flours" shall be substituted;

      (ii) against serial number 3 relating to 'Arsenic', in column (2), for the words and brackets "Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)", the words, brackets and symbol "Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)* " shall be substituted;

      (iii) against serial number 5 relating to 'Cadmium', in column (2), for the words "Pulses, excluding soybean dry", the words "Pulses and Pulse flours, excluding soybean dry" shall be substituted;

(b) after the Table, the following shall be inserted, namely:-

"*Note.- For fish oils, the Maximum level (ML) of inorganic arsenic (As-in) that is 0.1 mg/kg will be applicable. While testing, if the total arsenic concentration is below the ML for inorganic arsenic, no further testing is required, and the sample is determined to be compliant with the ML. If the total arsenic concentration is above the ML for inorganic arsenic, follow-up testing shall be done to determine if the inorganic arsenic concentration is above the ML.".

3. In the said regulations, in regulation 2.2 relating to "Crop contaminants and naturally occurring toxic substances", in sub-regulation 2.2.1,-

(a) in clause 1, in the Table,-

(i) against serial number 1 relating to 'Total Aflatoxins', in column (3), for the words "Oilseeds or oil: Oilseeds for further processing Ready to eat", the following shall be substituted, namely:-

(3)
" Oils, and Oilseeds for further processing Ready to eat oilseeds"; • Ready to eat oilseeds ";

(ii) against serial number 2 relating to 'Aflatoxin B1', in column (3), for the words "Oilseeds or oil: Oilseeds for further processing Ready to eat", the following shall be substituted, namely:-

(3)
"Oils, and Oilseeds for further processing Ready to eat oilseeds";

(b) in clause 2, in the Table, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	Saffrole	Beverages and foods containing mace and/or nutmeg kernel as an ingredient	10";

4. In the said regulations, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.2,-

(i) clause (1) shall be omitted;

(ii) in clause (4),in the Table, -

(a) against serial number 45 relating to 'Trimethoprim', in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)
"Sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products	0.05";

(b) after serial number 49 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"50.	Oxolinic acid	Sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products	0.3".

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./89/2026-27]

Note: The Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F.No. 01-SP (PAR)-Notification-Pesticides/Stds-FSSAI/2017, dated the 17th October 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.25 14:12:20 +05'30'